

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/

दिनांक:-10/10/2025

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री केलाक्री नर्स, जगदीश चन्द, नारायण लाल, पाससी नर्स निवासी पिस्ता/पत्नि पटवार हल्का पिस्ता के राजस्व ग्राम पिस्ता में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 53 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन जोति/नाम/जिम्मन किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन जुघार का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

fehul  
तहसीलदार चित्तौडगढ  
जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/ 831

दिनांक:-17/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का पिस्ता

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री केलाक्री नर्स, जगदीश चन्द, नारायण लाल, पाससी नर्स राजस्व ग्राम पिस्ता पटवार हल्का पिस्ता की खाता संख्या 53 में जाति/नाम/जिम्मन जोति/नाम/जिम्मन दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम/जिम्मन सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री केलाक्री नर्स, जगदीश चन्द, नारायण लाल, पाससी नर्स की जाति/नाम/जिम्मन जुघार एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का पिस्ता राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
चित्तौडगढ